संख्या 562

...य अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

रामेश्वर साव ....प्रथम पक्ष

बनाम

सुरेश सोनार वगैरह ....द्वितीय पक्ष

पक्ष

...खे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......146......सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक रामेश्वर साव पिता स्व0 हुलाश साव, साकिन-बगोदर (साहू मोहल्ला), थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-बभनी, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0-14, प्लॉट सं0-32, रकवा-01 एकड़ 16 डी0 मध्ये 80 डी0, चौहद्दीः उ0-परती कदीम, द0-जंगल झाडी, पू0-राम नारायण भगत, प0-जंगल झाड़ी में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर से मांगे। अभिलेख दिनांक 8/12/22 को उपस्थापित करें। 24/11/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बगोदर के ज्ञापांक सं0..3561. दिनांक 7/12/22.........के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 05/1/23. को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।

अभिलेख दिनांक 05/1/23....को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Scanned with CamScanner

आदेश क्रं० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/1/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप० अभिलेख दिनांक 19-01-2023 को रखें।	
19/1/23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप० To 2/2/23 [signature] 19/1	
2/2/23	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप० To 9/2/23. [signature] 2/2	
9/2/23	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप० अभिलेख दिनांक 13/2/23 को रखें।	
13/2/23	उभय पक्ष अनुप० आदेश की टंकित प्रति अभिलेख में संलग्न। [signature] 13/2	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
13.2.23	**आदेश** यह वाद आवेदक रामेश्वर साव पिता स्व0 हुलाश साव, साकिन–बगोदर (साहु मोहल्ला), थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के रामेश्वर साव बनाम द्वितीय पक्ष के सुरेश सोनार वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :– मौजा– बभनी, थाना–बगोदर, जिला– गिरिडीह अंतर्गत, खाता नं0–14, प्लॉट नं0–32, रकवा–01 एकड़ 16 डी0 मध्ये 80 डी0, चौहद्दीः उ0–परती कदीम, द0जंगल झाड़ी, पू0–राम नारायण भगत, प0–जंगल झाड़ी। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, थाना प्रभारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने व उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है। अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.21 14:14:47 +05:30
Location: 192.168.1.4

Scanned with CamScanner